न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कौशाम्बी।

उपस्थितः जे0पी0 यादव, एच0जे0एस0

UPKS010018292026

<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या :286/2026</u>

दिलशाद पुत्र मुन्ना उर्फ मो0 सलीम निवासी ग्राम तुर्तीपुर, थाना करारी, जनपद कौशाम्बी।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....अभियोजन पक्ष।

अ.सं.–161/2026
धारा–303(2), 317(2), 317(4) बी.एन.एस.
थाना–मंझनपुर
जनपद–कौशाम्बी ।

प्रार्थी की ओर से.....श्री राकेश कुमार पाल, एडवोकेट।
राज्य की ओर से.....श्री सोमेश्वर कुमार तिवारी, डी.जी.सी. (क्रिमि.)।

<u>23.05.2026:</u>

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त दिलशाद, जो मु0अ0सं0 161/2026, धारा–303(2), 317(2), 317(4) बी.एन.एस. , थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी के मामले में, जिला कारागार में निरूद्ध है, की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता सानिया ने शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायलय अथवा विधि के किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

2. अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अर्जुन कुमार ने थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराया कि दिनांक 30.04.2026 को लगभग 01 बजे उसकी व उसके चाचा महाराजदीन की एक ही जगह 2 भैंस बंधी थीं। अज्ञात चोर दोनों भैंसों को पिकप में लादकर भाग गये। उसके पिता जगे तो भैंस नहीं थीं। वह व उसके चाचा अपने स्तर से काफी खोजबीन किए परन्तु भैंसों का कहीं पता नहीं लगा जिससे वह सूचना देने आया है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है, उसने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत कराई गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई भैंस चोरी नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई भैंस बरामद नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त न घटनास्थल से गिरफ्तार हुआ और न ही कुछ बरामद हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा व उसके चाचा की भैंस की चोरी की गई। उक्त भैंस प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुई हैं। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर

प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

5. अभियोजन के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा व उसके चाचा की भैंस की चोरी की गई। उक्त भैंस प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से बरामद होना कहा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत कराई गई है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं हैं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 07.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। सह–अभियुक्त राज आदि की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अतः मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में, मामले के गुण दोष पर कोई विचार प्रकट किये बिना, यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त दिलशाद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता हैं–

1. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु0 पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानते, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए, दाखिल की जायेगी।

2. प्रार्थी/अभियुक्त भविष्य में इस तरह का कोई अपराध नहीं करेगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धमकी नहीं देगा न ही साक्ष्य को विनष्ट करने में किसी प्रकार से लिप्त होगा।

4. प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विवेचना प्रत्येक महीने के, प्रथम सप्ताह के किसी दिन, संबंधित थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा।

(जे0 पी0 यादव)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No.UP6551
दिनांक:23.05.2026

Digitally signed by JAI PRAKASH YADAV
Date: 2026.05.25 10:11:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court